रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

उर्वरक विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4.00	49999.96	50003.96	4.00	52999.96	53003.96	5.50	49999.96	50005.46
पूंजी		*196.00*	*0.04*	*196.04*	*196.00*	*0.04*	*196.04*	*209.50*	*0.04*	*209.54*
जोड़		**200.00**	**50000.00**	**50200.00**	**200.00**	**53000.00**	**53200.00**	**215.00**	**50000.00**	**50215.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	17.22	17.22	...	17.22	17.22	...	17.24	17.24
फसल कार्य										
2. आयातित उर्वरकों पर सब्सिडी	2401	...	5947.94	5947.94	...	3947.94	3947.94	...	5500.00	5500.00
3. विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी										
3.01 विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान	2401	...	34252.06	34252.06	...	34952.06	34952.06	...	28500.00	28500.00
4. उर्वरक उद्योग										
4.01 स्वदेशी उर्वरकों पर सब्सिडी	2852	...	9780.25	9780.25	...	14080.25	14080.25	...	15980.73	15980.73
5. उर्वरक विकास एस एंड टी कार्यक्रम के लिए अन्य अनुसंधान योजनाएं	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
6. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
6.01 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.02 फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.03 पाईराइटस, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.04 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	6855	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	6552	64.99	...	64.99	64.99	...	64.99	44.99	...	44.99
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	6855	131.00	...	131.00	131.00	...	131.00	164.50	...	164.50
9. विदेशों में संयुक्त उपक्रम के लिए निवेश	4855	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. अन्य कार्यक्रम										
10.01 एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई तथा पीडीआईएल पर भारत सरकार ऋण के बकाया ऋण, ब्याज तथा दण्ड ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु	3475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
10.02 अन्य कार्यक्रम	2852	2.00	2.47	4.47	2.00	2.47	4.47	3.50	1.97	5.47
10.03 पीपीएल की समापन पश्च समायोजन देयताएँ	3475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	*2.00*	*2.49*	*4.49*	*2.00*	*2.49*	*4.49*	*3.50*	*1.99*	*5.49*
कुल जोड़		***200.00***	***50000.00***	***50200.00***	***200.00***	***53000.00***	***53200.00***	***215.00***	***50000.00***	***50215.00***

	विकास शीर्ष	बजट 2009-2010 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	संशोधित 2009-2010 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट 2010-2011 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
8.01 फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	12855	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	89.99	...	89.99
8.02 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12855	...	550.15	550.15	...	139.25	139.25	...	900.50	900.50
8.03 प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि.	12855	...	5.35	5.35	...	8.38	8.38	...	5.38	5.38
8.04 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	12855	...	988.05	988.05	...	250.68	250.68	...	622.82	622.82
8.05 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12855	96.99	...	96.99	96.99	...	96.99	74.50	...	74.50
8.06 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड	12855	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	45.00	...	45.00
8.07 कृषक भारती कॉपरेटिव लिमिटेड	12855	...	497.00	497.00	...	421.50	421.50	...	1160.00	1160.00
8.08 भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (फैगमिल)	12855	...	29.01	29.01	...	4.35	4.35	...	11.29	11.29
जोड़		**195.99**	**2069.56**	**2265.55**	**195.99**	**824.16**	**1020.15**	**209.49**	**2699.99**	**2909.48**
ग. आयोजना परिव्यय :-										
1. उर्वरक उद्योग	12855	135.01	2069.56	2204.57	135.01	824.16	959.17	170.01	2699.99	2870.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	64.99	...	64.99	64.99	...	64.99	44.99	...	44.99
जोड़		**200.00**	**2069.56**	**2269.56**	**200.00**	**824.16**	**1024.16**	**215.00**	**2699.99**	**2914.99**

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. चूंकि स्वदेशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात की व्यवस्था की जाती है। इसमें शामिल लागत व्यापक रूप से आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों की हैण्डलिंग और वितरण की लागत होती है। किसानों के लिए आयातित उर्वरकों का बिक्री मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नियंत्रित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता कीमतें सांविधिक रूप से विनियमित होती हैं। बिक्री मूल्य स्वदेशी उत्पादन के बिक्री मूल्य के समान ही है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त राशि तथा सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर उर्वरकों के आयात पर राजसहायता को प्रदर्शित करता है।

3. यह प्रावधान किसानों को रियायत पर नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री की योजना के अंतर्गत उत्पादकों/एजेंसियों को भुगतान करने से संबंधित है। रियायत से बेहतर मृदा उर्वरता और उत्पादकता के लिए उर्वरक (एनपीके) पोषक-तत्वों का संतुलित प्रयोग होगा।

4. यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन के लिए भाड़ा राजसहायता सहित उर्वरक प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत राजसहायता से संबंधित है। राजसहायता योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है तथा उर्वरक के उत्पादकों को उनके निवेश पर उपयुक्त प्रतिलाभ दिलाना है। उर्वरकों को जारी मूल्यों पर बेचा जाता है जिन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

5. यह प्रवधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उर्वरकों को उत्पादन के लिए अनिवार्य जानकारी के विकास के लिए है।

6. पीपीसीएल उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है क्योंकि कम्पनी तरलता के अधीन है और इसका बीओडी बन्द हो चुका है और पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कम्पनी की परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जहां तक एचएफसीएल और एफसीआईएल का सम्बन्ध है, कम्पनियां बीआईएफआर/दिल्ली हाई कोर्ट के सीमा क्षेत्र में क्रमशः हैं क्योंकि एसआईसीए के तहत ये कम्पनियां रुग्ण हैं। बीवीएफसीएल के सम्बन्ध में, यदि कोई आयोजना भिन्न प्रावधान प्रावधान ब.अ. प्रस्ताव में किया गया है तो वर्णन में विवरण होगा।

7. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

8. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेशः** इन उद्यमों और आईईबीआर में बजट सहायता का साम्या और ऋण-वार ब्यौरा व्यय बजट खण्ड-। में किया गया है।

8.01. **फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)** नाइट्रोजनयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाईऑक्साइड, आदि के उत्पादन में संलग्न है। कंपनी की तीन प्रचालन इकाइयॉं हैं- एक उडागमंडल में और अन्य दों इकाइयां कोचीन में हैं। सभी तीनों इकाइयों की स्थापित क्षमता 1.74 लाख टन नाइट्रोजन और 1.27 लाख टन पी2ओ5 तथा 0.50 लाख टन कैप्रोलेक्टम है।

8.02. **नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)** की पॉंच इकाइयॉं नामतः नांगल-। और नांगल-।।, भटिण्डा, पानीपत और विजयपुर हैं जिनकी प्रतिवर्ष 14.88 लाख टन नाइट्रोजन की संस्थापित क्षमता है।

कम्पनी ने भटिंडा, पानीपत और नांगल स्थित नांगल आधुनिकीकरण संयंत्र चरण-। के उर्वरक संयंत्रों के केप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रारम्भ किया है। 1071.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 7.26 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन हेतु गुना, मध्य प्रदेश स्थित विजयापुर विस्तार परियोजना वर्ष 1997 में प्रारम्भ की गयी थी।

8.03 **प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)** की डिजाइन इंजीनियरिंग और परामर्शी सेवा इकाई है, जो एक अनुसंधान और

http://indiabudget.nic.in

विकास प्रभाग तथा उर्वरकों के क्षेत्र में उपकरणों और पोतों की फैब्रिकेशन कार्यशाला है। यह उर्वरक कंपनियों की डिजाइन इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रापण, पर्यवेक्षण, निर्माण और स्थापना आदि में सहायता कर रहा है। कंपनी उर्वरक उद्योग के लिए उत्प्रेरकों के निर्माण में संलग्न है।

8.04 **राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल)** नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों तथा कुछ औद्योगिक उत्पादों जैसे मेथनॉल और अमोनियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन में संलग्न है। वर्तमान में, कंपनी की चार प्रचालन इकाइयां अर्थात् ट्राम्बे, ट्रॉम्बे-IV, ट्राम्बे-v हैं तथा इनकी कुल स्थापित क्षमता 10.57 लाख टन नाइट्रोजन और 1.20 लाख टन पी2ओ5 तथा 0.45 लाख टन के2ओ है।

8.05 **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)** एक संयुक्त क्षेत्र कंपनी थी जिसमें भारत सरकार, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी तथा अमेरिका में निगमित अमोको इंडिया की भागीदारी थी। इस अमोको इंडिया के शेयरों को भारत सरकार और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी द्वारा आंशिक रूप से खरीद लिया गया है। कंपनी यूरिया और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन कर रही है।

8.06 **ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड** - एचएफसी की प्रचालन इकाइयों अर्थात नामरूप-I, नामरूप-II और नामरूप-III को पृथक करके एक नई कंपनी ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड बनाई गई है। जिसकी उत्पादन क्षमता 5.5 लाख मी.टन यूरिया प्रतिवर्ष है।

8.07 **कृषक भारती कोऑपरेटिव लि. (कृभको)** - कृभको द्वारा गुजरात में हजीरा में सरकारी क्षेत्र में एक बड़े आकार के अमोनिया/यूरिया परिसर की स्थापना की गई है। प्राकृतिक गैस के आधार पर परियोजना की स्थापित क्षमता 6.68 लाख टन नाइट्रोजन है।

8.08 **फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (फैगमिल)** एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के जोधपुर खनन संगठन (जेएमओ) से पृथक होने के बाद 14.2.2003 को सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित होने तथा एफसीआई और फैगमिल के बीच के विलय समाप्त करने के अनुमोदन के बाद 1.4.2003 से अस्तित्व में आई थी जिसके लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन (बीआईएफआर) ने अपने दिनांक 17.5.2004 द्वारा आदेश दिया था।

9. यह प्रावधान संयुक्त उपक्रम (जेवी) के लिए निवेश है।

10. इसमें उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय के लिए गैर-योजना प्रावधान शामिल है। यह उर्वरक विभाग का संबद्ध कार्यालय है जो प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुदान देता है तथा एचएफसी, एफसीआई, पीडीआईएल, एमएफएल और फैक्ट से देय भारत सरकार के ऋण, ब्याज और दण्डात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालता है।